

प्रोफार्मा - IV

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु रियायत का लाभ लेने के लिए सेवारत/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. रैंक
नाम, जिनकी जन्मतिथि
है, ने से तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है।

2. उन्हें सैन्य सेवा से कार्यमुक्त किया गया है :

- % (क) सुपुर्द कार्य से अन्यथा के पूरा होने पर
- (i) बर्खास्तगी के द्वारा या
 - (ii) कदाचार या अकुशलता के कारण निर्मुक्त के द्वारा या
 - (iii) उनके स्वयं के अनुरोध पर लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना या
 - (iv) उन्हें ऐसे कार्यमुक्त की लंबितता के रिजर्व होने के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है।

% (ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं।

% (ग) कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा के बाद अविधिमान्यकरण के बाद

3. वे समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनःरोजगार) नियमावली, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते हैं।

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम**

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. रैंक
नाम दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में
सेवारत हैं।

2. उन्हें दिनांक अपने सुपुर्द कार्य की विनिर्दिष्ट अवधि पूरा करने पर
सेवानिवृत्त होने पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है।

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम**

मुहर

उपर्युक्तानुसार "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों (सेवारत कार्मिक) को निम्नलिखित परिवचन
प्रस्तुत करना होगा :-

एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त होने वाले सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा दिया जाने वाला परिवचन:

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता
है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेजी
साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से
निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक
(केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व
सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

ग. प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. रैंक नाम
....., जिनकी जन्मतिथि है, से थल
सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर ली है और अब वे तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोजगार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम**

मुहर

प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना --मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :-

थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा।

नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

वायु सेना ---- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली।